

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश : जबलपुर


सूचना

क्रमांक A/1739 /
चार-12-17 / 17 वे0नि0निर्देश

जबलपुर, दिनांक 20.06.2018

निर्देशानुसार, रजिस्ट्री के समस्त शासकीय सेवकों को सूचित किया जाता है कि रजिस्ट्री नोटिफिकेशन क्रमांक सी / 1069 / चार-12-17 / 2017 दिनांक 27.02.2018 {मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 01 मई, 2018 में प्रकाशित} के तारतम्य में मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण के संबंध में कार्यवाही की जाना है।


उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर के समस्त शासकीय सेवकों से अनुरोध है कि वे नियमानुसार निर्धारित समयावधि में **IFMIS Software पर ऑनलाइन विकल्प (Option)** प्रस्तुत करें तथा चयनित विकल्प की हार्ड कॉपी मय संलग्न प्रपत्र-तीन (वचनपत्र Undertaking), प्रपत्र-चार (प्रतिभूति का प्रारूप), सभी सहपत्र दो-दो प्रतियों में पूर्ति कर रजिस्ट्री में प्रस्तुत करें, ताकि वेतन निर्धारण के संबंध में आगामी कार्यवाही की जा सके।


(ए.के.महोबिया)
ओ.एस.डी. (लेखा)

प्रतिलिपि:-

रजिस्ट्रार, आई.टी. की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड करने की कार्यवाही हेतु सानुरोध प्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार


20/06/2018
(ए.के.महोबिया)
ओ.एस.डी. (लेखा)

दूसरी अनुसूची
विकल्प का प्रारूप
(नियम 6 देखें)

* (i) मैं..... दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू संशोधित वेतन ढांचे का चयन करता हूँ / करती हूँ।
अथवा

* (ii) मैं..... अपने मूल / स्थानापन्न पद के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में निम्नानुसार आगे भी बने रहने के लिए विकल्प का चयन करता / करती हूँ जब तक कि :-

* मेरी अगली वेतन वृद्धि कि दिनांक , या.....

* मेरी बाद कि वेतनवृद्धि कि दिनांक जिससे मेरे वेतन..... रुपये हो जाए, या

* मैं, मौजूदा वेतन बैंड में वेतन लेना बंद कर दूँ / छोड़ दूँ, या

*.....के पद पर मेरा पदोन्नति/ उन्नयन की तारीख तक बने रहने तक।

विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन.....

दिनांक

हस्ताक्षर

स्थान

नाम

पदनाम

कार्यरत कार्यालय का नाम

*यदि लागू न हो तो काट दिया जाए

कार्यालय में विकल्प प्राप्त होने कि दिनांक

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर पदमुद्रा सहित

प्रपत्र – चार
प्रतिभूति का प्रारूप

श्री/ श्रीमती / कुमारी

-----पदनाम-----कार्यालय-----
को मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतन मेट्रिक्स में वेतन नियतन होने
के कारण दिनांक -----से दिनांक -----तक -----(शब्दों में)-----
की अवशेष राशि (एरिअर) का भुगतान किया जा रहा है।

हम श्री/ श्रीमती / कुमारी ----- एवं श्री/ श्रीमती / कुमारी -----
-----कार्यालय----- की स्थापना के शासकीय सेवक है तथा क्रमशः वेतन राशि -----
-(शब्दों में)----- प्रतिमाह आहरण करते हुये श्री/ श्रीमती /
कुमारी-----को प्रतिभू होने के लिए यह सहमति प्रदान करते है कि यदि श्री/ श्रीमती /
कुमारी-----को उपरोक्तानुसार एरियर्स का भुगतान होने जा रहा है, उसमें यदि शासन के नियम
के अनुरूप अधिक भुगतान होना पाया जाता है, एवं उक्त शासकीय सेवक अधिक भुगतान कि गई राशि को लौटने मे असमर्थ है तो
उसका भुगतान करेंगे और हम स्वयं को अपने उत्तराधिकारी, निष्पादकों, प्रतिनिधियों और समनुदेशतियों को इस प्रकार के
भुगतान हेतु आबद्ध करते है। हम यह भी सहमति देते है कि हमारे द्वारा देय राशि हम दोनों से संयुक्त रूप से या अलग – अलग भू-
राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर ली जाए।

आज दिनांक ----माह -----2017 को हस्ताक्षरित किया गया।

साक्षी	हस्ताक्षर
1 ----- -----	1. प्रतिभू के हस्ताक्षर
नाम	नाम व पदनाम ----- -----
पदनाम	2. प्रतिभू के हस्ताक्षर
2 ----- -----	नाम व पदनाम ----- -----
नाम	नाम व पदनाम ----- -----

प्रतिहस्ताक्षरित
नाम-----
(कार्यालय प्रमुख)
(X) जो लागू न हो उसे कट दीजिए

प्रपत्र - तीन

वचन पत्र (Undertaking)

मुझे यह ज्ञात है कि दिनांक 01-01-2016 से स्वीकृत मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के प्रावधानों के अंतर्गत मेरा जो वेतन नियतन अभी पुनरीक्षित वेतन मेट्रिक्स में किया गया है वह अनन्तिम (Provisional) है। मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं राज्य शासन को वह संपूर्ण राशि जो कि वेतन नियतन में अनियमितता के कारण तथा अन्य कोई भी धनराशि जो कि इस प्रकार वेतन नियतन के कारण मुझे अधिक भुगतान कि गई है, शासन के निर्देशों के अनुरूप निर्धारित राशि वापस करूंगा /करूंगी तथा इस प्रकार की राशि मेरे देय स्वतंत्रों से जिनमें- पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अवकाश नगदीकरण की राशि भी सम्मिलित है, काटी जा सकेगी। मैं यह भी वचन देता/देती हूँ कि यदि उक्तानुसार मेरे द्वारा देय राशि को मैं लौटाने में असमर्थ रहता / रहती हूँ, तो इस देय राशि की वापसी के लिए मैं अपने उत्तराधिकारियों, निष्पादकों, प्रतिनिधियों और समनुदेशितियों को आबद्ध करता / करती हूँ। मैं यह भी सहमति देता / देती हूँ कि मेरे द्वारा देय राशि मुझसे राजस्व कि बकाया के रूप में वसूल कर ली जाए।

साक्षी	हस्ताक्षर शासकीय कर्मचारी
हस्ताक्षर	पदनाम
पता	स्थान
दिनांक	दिनांक

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH : JABALPUR

// NOTIFICATION //

C/1069
No. IV-12-17/2017

Jabalpur, dated 27/02/2018

In exercise of the powers conferred by Article 229 (2) of the Constitution of India read with High Court Notification No.7056-II-14-32-36 Part-I, dated the 12th July, 1960, Hon'ble the Chief Justice, with the previous approval of the Governor, has been pleased to direct that the Madhya Pradesh Revision of Pay Rules, 2017, promulgated under Madhya Pradesh Finance Department, Bhopal, Notification No.F. 8-I/2016/Niyam/IV, dated 20th July, 2017 and as amended from time to time, shall apply to the officers and employees of the High Court and the erstwhile staff of the Abolished State Administrative Tribunal, holding posts in the existing pay scales of pay under the M.P.P.R. Rules, 2009 as specified in Annexure - I of the notification of the Finance Department shall be applicable from the 1st January, 2016:-

- (1) Provided that the option prescribed under Rule 6 of the Madhya Pradesh Revision of Pay Rules, 2017, shall be exercised by the officers and employees of the High Court and the erstwhile staff of the Abolished State Administrative Tribunal within three months from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette".
- (2) Provided further that the power exercisable by the Government in the matter of relaxation or suspension of operation of any of the provisions of the Madhya Pradesh Revision of Pay Rules, 2017 in the case of the officers and employees of the High Court and the erstwhile staff of the Abolished State Administrative Tribunal, as provided in Rule 16, shall be exercised by Honourable the Chief Justice.

Note:- The above approval is subject to the recommendation for amendments in the pay scales in the First Schedule of the High Court of Madhya Pradesh Officers and Employees Recruitment and Conditions of Service (Classification, Control, Appeal and Conduct) Rules, 1996 and the High Court of Madhya Pradesh (Absorption and Conditions of Services in respect of Officers and Employees of Abolished Madhya Pradesh Administrative Tribunal) Service Rules, 2006 sent vide D.O. No.253/II-15-19/1944/2015, dated 27-06-2015 and recommendations which may be considered and sent by the High Court from time to time.

By order and in the name of Honourable the Chief Justice,


(MOHD. FAHIM ANWAR)
Registrar General

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 252]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 1 मई 2018—वैशाख 11, शक 1940

विधि और विधायी कार्य विभाग

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 27 फरवरी 2018

क्र. सी-1069-चार-12-17-2017.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 229 के खंड 2 सहपठित मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अधिसूचना क्रमांक 7056/दो-14-32/36 भाग-1, दिनांक 12 जुलाई 1960 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय मुख्य न्यायाधिपति, राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से, निदेश देते हैं कि मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-2009-नियम-IV, दिनांक 20 जुलाई 2017 के अन्तर्गत घोषित एवं जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया, मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017, उच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी तथा निवर्तमान राज्य प्रशासनिक अधिकरण के तत्कालीन कर्मचारी जो मध्यप्रदेश पुनरीक्षण नियम, 2009 के अन्तर्गत वर्तमान वेतनमान में पदस्थ हैं, पर, वित्त विभाग की अधिसूचना के संलग्नक-1 में विनिर्दिष्ट अनुसार दिनांक 1 जनवरी 2016 से लागू होगा.

- (1) परन्तु यह कि मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के नियम 6 के अन्तर्गत विहित विकल्प, उच्च न्यायालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा निवर्तमान राज्य प्रशासनिक अधिकरण के तत्कालीन कर्मचारियों द्वारा इस अधिसूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से तीन माह के भीतर प्रयोग में लाया जायेगा.
- (2) परन्तु यह भी कि मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के किसी भी उपबंध के शिथिलकरण या प्रवर्तन के निलंबन के विषय में शासन द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां, उच्च न्यायालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों तथा निवर्तमान राज्य प्रशासनिक अधिकरण के तत्कालीन कर्मचारियों के प्रकरण में जैसा कि नियम 16 में उपबंधित है, माननीय मुख्य न्यायाधिपति द्वारा प्रयोग की जायेगी.

टीप.—उपरोक्त मंजूरी D. O. No. 253 /II-15-19/1944/2015, दिनांक 27 जून 2015 द्वारा प्रेषित उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अधिकारी एवं कर्मचारी भर्ती और सेवा की शर्तें (वर्गीकरण, नियंत्रण, अपील तथा आचरण) नियम 1996 एवं उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश एवं निवर्तमान मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक अधिकरण के तत्कालीन कर्मचारियों के संबंध में संविलयन एवं सेवा की शर्तें, सेवा नियम 2006 की प्रथम अनुसूची में वेतनमान में संशोधन हेतु प्रेषित अनुशंसा तथा समय-समय पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार में लिये जा सकने वाली एवं प्रेषित की जाने वाली अनुशंसाओं के अध्यधीन है.

No. C-1069-IV-12-17/2017.—In exercise of the powers conferred by Article 229 (2) of the Constitution of India read with High Court Notification No.7056-II-14-32-36 Part-I, dated the 12th July, 1960, Hon'ble the Chief Justice, with the previous approval of the Governor, has been pleased to direct that the Madhya Pradesh Revision of Pay Rules, 2017, promulgated under Madhya Pradesh Finance Department, Bhopal, Notification No. F. 8-I-2016/Niyam/IV, dated 20th July, 2017 and as amended from time to time, shall apply to the officers and employees of the High Court and the erstwhile staff of the Abolished State Administrative Tribunal, holding posts in the existing pay scales of pay under the M.P.P.R. Rules, 2009 as specified in Annexure - I of the notification of the Finance Department shall be applicable from the 1st January, 2016:—

- (1) provided that the option prescribed under Rule 6 of the Madhya Pradesh Revision of Pay Rules 2017, shall be exercised by the officers and employees of the High Court and the erstwhile staff of the Abolished State Administrative Tribunal within three months from the date of publication of this notification in the "Madhya Pradesh Gazette".
- (2) provided further that the power exercisable by the Government in the matter of relaxation or suspension of operation of any of the provisions of the Madhya Pradesh Revision of Pay Rules, 2017 in the case of the officers and employees of the High Court and the erstwhile staff of the Abolished State Administrative Tribunal, as provided in Rule 16, shall be exercised by Honourable the Chief Justice.

Note : The above approval is subject to the recommendation for amendments in the pay scales in the First Schedule of the High Court of Madhya Pradesh Officers and Employees Recruitment and Conditions of Service (Classification, Control, Appeal and Conduct) Rules, 1996 and the High Court of Madhya Pradesh (Absorption and Conditions of Services in respect of Officers and Employees of Abolished Madhya Pradesh Administrative Tribunal) Service Rules, 2006 sent *vide* D.O. No.253/II-15-19/1944/2015, dated 27-06-2015 and recommendations which may be considered and sent by the High Court from time to time.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.